न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010078992025

Sessions Case/2816/2025

State of U.P. Vs. Sumit

सत्र परीक्षण संख्या–2615/2025

सरकार

बनाम सुमित आदि

मु0अ0सं0 94/2025

अ0 धारा 65(1) ,351 (3),78(1)बी0एन0एस0 एवं 3/4 (2)पोक्सो अधिनियम

थाना हापुड देहात ,जिला हापुड ।

26.02.2026 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सुमित जेरे हिरासत व रतनपाल जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त सुमित के विरूद्ध धारा 65(1),351(3),78(1)बी0एन0एस0, 3/4(2)पोक्सो अधिनियम एवं अभियुक्त रतनपाल के विरूद्ध धारा 351(3)बी0एन0एस0 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 16.03.2026 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 26.02.2026

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.02.27 10:14:26 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010078992025

Sessions Case/2816/2025
State of U.P. Vs. Sumit
सत्र परीक्षण संख्या–2615/2025

सरकार बनाम सुमित आदि
मु0अ0सं0 94/2025
अ0 धारा 65(1) ,351 (3),78(1)बी0एन0एस0
एवं 3/4 (2)पोक्सो अधिनियम
थाना हापुड देहात ,जिला हापुड ।

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्तगण सुमित व रतनपाल पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमत ::– यह कि तहरीर दिनांक 27.10.2025 के अनुसार दिनांक व समय अदम तहरीरी मौहल्ला अनुज विहार, हापुड बहद थाना हापुड देहात जिला हापुड में आप **अभियुक्त सुमित** ने वादिनी की अव्यस्क पुत्री ''आर'' /पीडिता उम्र करीब 14 वर्ष 9 माह (16 वर्ष से कम) की लज्जा भंग करने के आशय से स्कूल जाते समय उसका पीछा कर ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 78(1) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आप **अभियुक्त सुमित** ने वादिनी की अव्यस्क पुत्री ''आर'' /पीडिता उम्र करीब 14 वर्ष 9 माह (16 वर्ष से कम) से बलात्संग किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 65(1) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आप **अभियुक्त सुमित** ने वादिनी की अव्यस्क पुत्री ''आर'' /पीडिता उम्र करीब 14 वर्ष 9 माह (16 वर्ष से कम) पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

<u>चतुर्थत ::–</u> यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप **अभियुक्तगण सुमित व रतनपाल** ने वादिनी की अव्यस्क पुत्री ''आर'' /पीडिता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 351(3) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 26.02.2026

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 26.02.2026